न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

गुन्ताकिल प्रा0प0सं0 88/2017 पारस मल बनाम उ0ख0अधि0 ब्यावर व अन्य (निर्णित दिनांक 17.11.2017)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी संख्या 57/2018

अनवान

श्री गफ्फार पुत्र स्व0 श्री ईनायत खॉ जाति मुसलमान नि0–ग्राम ब्यावर खास, तहसील–ब्यावर जिला अजमेर (राज0) .....**प्रार्थी**

बनाम

श्री पारस मल पुत्र श्री भॅवरलाल जाति जैन निवासी शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0) .....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :– 1. श्री शान्ति प्रकाश औझा — अभिभाषक प्रार्थी
2. अरूणा जैन — अधिकृत अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश **दिनांक :– 26.11.2019**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री पारसमल जैन पुत्र श्री भॅवरलाल निवासी ब्यावर द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 19.06.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के यहॉ विचाराधीन राजस्व वाद सं0 59/2009 एवं टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 49/2009, रा.वि.प्रा.पत्र सं0 55/2015 बउनवानी गफ्फार खां बनाम पारसमल जैन व अन्य में निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होने के कथनो के उक्त प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया। बाद दर्ज रजिस्टर प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब कर उपस्थित उभय पक्ष को सुना जाकर न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 59/2009, प्रार्थना पत्र संख्या 49/2009, रा.वि.प्रार्थना पत्र संख्या 55/2015 बउनवान गफ्फार खां बनाम पारसमल जैन व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिनांक 16.11.2017 को पारित किया गया।

श्री गफ्फार पुत्र स्व0 श्री ईनायत खॉ जाति मुसलमान नि0–ग्राम ब्यावर खास (अप्रार्थी सं0 02) द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 9.10.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वर्तमान में पीठासीन अधिकारी श्री पियुष समारिया का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कथन के न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.11.2017 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 59/2009, प्रार्थना पत्र संख्या 49/2009, रा.वि.प्रार्थना पत्र संख्या 55/2015 बउनवान गफ्फार खां बनाम पारसमल जैन व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर को स्थानान्तरित प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। दौराने सुनवाई अभिभाषक अप्रार्थी के प्रतिनिधित्व पत्र पर अभिभाषक अरूणा जैन उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी) ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि श्री पारसमल जैन के द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 59/2009 एवं टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 49/2009, रा.वि.प्रा.पत्र सं0 55/2015 बउनवानी गफ्फार खां बनाम पारसमल जैन व अन्य को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.11.2019 के द्वारा सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये गये थे। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ब्यावर श्री पीयूष सामरिया का वर्तमान में अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है तथा नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार संभाल लिया गया है। राजस्व वाद सं0 59/2009 एवं टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 49/2009, रा.वि.प्रा.पत्र सं0 55/2015 बउनवानी गफ्फार खां बनाम पारसमल जैन व अन्य की मूल रूप से क्षैत्राधिकारिता उपखण्ड अधिकारी ब्यावर की है। चूंकि वाद में साक्ष्य/जिरह सहित विभिन्न कार्यवाहियॉ सम्पादित होती है तथा वर्तमान में सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर का पद रिक्त है। लिहाजा नियमित सुनवाई हेतु उक्त स्थानान्तरित प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी (पारसमल जैन) ने अभिभाषक प्रार्थी (गफ्फार खॉ) के कथनों को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 59/2009 एवं टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 49/2009, रा.वि.प्रा.पत्र सं0 55/2015 बउनवानी गफ्फार खां बनाम पारसमल जैन व अन्य को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.11.2019 के द्वारा सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये गये थे। न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर में वर्तमान में पीठासीन अधिकारी निधी शर्मा जी नियुक्त है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा को ही श्रवण का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं होने की जानकारी होने के बावजूद मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त निर्णितशुदा प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथमदृष्टया ही न्यायालय हाजा में सुनवाई योग्य (maintainable) नहीं है। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के जरिये माननीय न्यायालय के आदेश को ही रिव्यू कराना चाहते है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के प्रतिकूल है। माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 को यदि कोई अनुतोष वांछित था तो उन्हें नियमानुसार सक्षम अपीलीय न्यायालय/उच्च न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री पीयुष सामरिया जी का स्थानान्तरण हो चुका है किन्तु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के प्रार्थी फिलहाल उक्त न्यायालय विभाग से ही सन्तुष्ट नहीं है। न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर में प्रकरण में नियमित रूप से सुनवाई/कार्यवाही जैरकार है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, कारणों, आधारों के मध्यनजर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के प्रतिकूल न्यायालय हाजा के द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत पारित आदेश दिनांक 16.11.2019 को न्यायालय हाजा के समक्ष ही आक्षेपित करने बाबत, विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को भारी हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में उप0 अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहीम बी.अत्तार, जावेद अब्दुल...बनाम अतुल अम्बालाल बारोठ एवं राजेन्द्र... में पारित आदेश दिनांक 18.10.2004 का उद्धरण उद्धत करवाया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पारसमल जैन द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई, आदेश दिनांक 16.11.2019 से स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 59/2009, रा.टी.आई. प्रार्थना पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

संख्या 49/2009, रा.वि.प्रार्थना पत्र संख्या 55/2015 बउनवान गफ्फार खां वनाम पारसमल जैन व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर में स्थानान्तरित किये गये थे, जो वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर में जैरकार है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 02 गफ्फार खॉ द्वारा करीब 7 माह पश्चात उक्त स्थानान्तरित प्रकरणों को पुनः उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित किये जाने की इस्तदुआ जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के की गई है। जबकि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता पारसमल जैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं न्यायालय हाजा में सुनवाई योग्य नहीं होना बताते हुए इसे भारी हर्जे के खारिज करने तथा प्रकरणो को न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर से पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में स्थानान्तरित नहीं किये जाने का निवेदन किया गया है। न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये एवं किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरणों को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है। इसी सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थी पारसमल जैन का प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र तत्समय, न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 16.11.2019 से प्रश्नगत प्रकरणों का स्थानान्तरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर से न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर में किया गया था, जिनकी सुनवाई प्रार्थी आज भी स्थानान्तरित न्यायालय (सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर) में ही चाहते है। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विधि विरूद्ध एवं सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner